आशु बनाम अशोक (न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

न्यायमूर्ति एम. एम. एस. बेदी और न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल के समक्ष

आशु अपीलकर्ता

बनाम

अशोक-प्रतिवादी

एफ. ए. ओ. (एम) No.27 /2017 (ओ. एंड एम.)

23 फरवरी, 2018

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 26-बाल कल्याण सर्वोपरि-संचालक के रूप में काम करने वाले पिता-गुणवत्तापूर्ण समय देने में असमर्थ-माँ गृहिणी-बच्चे की देखभाल परम आवश्यक-पिता को पत्नी और बच्चे दोनों को बनाए रखने के लिए-अपील की अनुमति है।

माना जाता है कि बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए मां का प्यार और कोमल देखभाल अनिवार्य रूप से बचपन से ही होती है और मां के प्यार और देखभाल के बिना बचपन अधूरा रहता है।चूंकि प्रतिवादी हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है और ऐसा कार्य समय और श्रम के मामले में बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए वह निश्चित रूप से नाबालिग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे पाएगा। इन परिस्थितियों में, बच्चे के पालन-पोषण के लिए माँ की देखभाल परम आवश्यक है। यह बच्चे का कल्याण है जो सर्वोपरि है और इस तरह के कल्याण की मांग है कि नाबालिग की देखभाल, उसकी शैशवावस्था में, माँ द्वारा की जाए और उसकी देखभाल की जाए।

(पैरा 9)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि भले ही अपीलकर्ता के पास आय के पर्याप्त साधन और स्रोत न हों, लेकिन प्रत्यर्थी-पित न केवल अपनी पत्नी बिल्क अपने बच्चे का भी भरण-पोषण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी कमाई से उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान करे।

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

संदीप लाठेर, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए। कन्हिया सोनी, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल

- (1) अपीलकर्ता आशु (पत्नी) ने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद द्वारा पारित दिनांक 12.1.2017 के आदेश पर आपित्त जताई, जिसके तहत उसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 26 के तहत उसके नाबालिग बच्चे दक्ष की अभिरक्षा की मांग के लिए दायर एक आवेदन खारिज कर दिया गया है और उसे केवल प्रत्येक शनिवार/रिववार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपने नाबालिग बेटे से अपने पित के निवास पर या संबंधित डॉक्टर से अनुमित लेने के बाद अस्पताल में मिलने का अधिकार दिया गया है।
- (2) इस अपील के निपटारे के लिए ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य यह हैं कि पक्षों का विवाह 23.4.2015 पर संपन्न किया गया था और दक्ष नामक एक बच्चे का जन्म 6.4.2016 को विवाह से हुआ था। हालाँकि, पक्षों के संबंधों में मतभेद होने के कारण, प्रतिवादी-पित ने अधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी को भंग करने की मांग की गई। चूंकि नाबालिंग बेटा प्रतिवादी के साथ रह रहा था, इसलिए अपीलकर्ता ने नाबालिंग बेटे की अभिरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 26 के तहत एक आवेदन दायर किया।
- (3) अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 26 के तहत अपने आवेदन में कहा कि वह अपने नाबालिंग बच्चे दक्ष की प्राकृतिक अभिभावक है और प्रतिवादी ने जबरन और उसकी सहमति के बिना नाबालिंग बच्चे की अभिरक्षा ले ली थी और उसे बच्चे से मिलने की भी अनुमित नहीं थी, जिसकी उम्र कम है। यह भी कहा जाता है कि हालांकि 22.5.2016 को एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें उसका पित उसे वापस वैवाहिक घर ले जाने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन बाद में उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने उसे बच्चे से मिलने की

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

अनुमति देने के लिए निर्देश के साथ नाबालिंग की अभिरक्षा आवेदक को सौंपने का अनुरोध किया।

- (4) प्रतिवादी-पति, ने उपरोक्त आवेदन के अपने जवाब में यह रुख अपनाया कि जब उसके माता-पिता गर्भावस्था के सातवें महीने में अपीलकर्ता को वैवाहिक घर लाने गए, तो अपीलकर्ता ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देगी और बच्चे को प्रतिवादी को सौंप देगी क्योंकि उनके बीच कोई संबंध नहीं था और अपीलकर्ता ने तदनुसार बच्चे को जन्म देने के बाद, प्रसव के बाद बच्चे को मरने के लिए अस्पताल छोड़ दिया। यह आगे दावा किया जाता है कि बच्चे का जन्म 6.4.2016 प्रात: 8:10 बजे हुआ था:10 और संजीवनी अस्पताल, जींद में गंभीर हालत में थे और यह लगभग सुबह के 11:30 बजे थे कि प्रतिवादी को बच्चे के जन्म और उसकी गंभीर स्थिति के बारे में सूचित किया गया था। डॉक्टर की सलाह पर, बच्चे को जींद के आस्था अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वह अपनी गंभीर स्थिति के कारण आई. सी. यू. में रहा। यह आगे बताया गया है कि हालाँकि अपीलकर्ता को बच्चे को स्तनपान कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आई। बच्चे की हालत बिगड़ने के कारण उसे हिसार के जिंदल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका अभी भी इलाज चल रहा है और वह प्रतिवादी-पित की अभिरक्षा में है। प्रतिवादी ने इसमें आगे जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता ने उसे दहेज आदि की मांग के संबंध में झूठे आपराधिक मामले में शामिल करने की धमकी दी और वास्तव में पुलिस को एक आवेदन दिया गया था, जिसे बाद में इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि पंचायत के निर्णय के अनुसार वह अपने पित के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन वह अपने वैवाहिक घर नहीं लौटी।इस प्रकार, प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया कि अपीलकर्ता अपनी गलतियों का लाभ नहीं उठा सकती है और आवेदन को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।
- (5) विद्वत निचली अदालत ने पक्षकारों की दलीलों और दलीलों पर विचार करने पर यह अभिनिर्धारित किया कि नाबालिंग की अभिरक्षा अपीलकर्ता को देने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपना भरण-पोषण करने में भी असमर्थ है। हालाँकि,

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

अपीलकर्ता को दिनांक 12.1.2017 के विवादित आदेश के माध्यम से मिलने का अधिकार दिया गया था।

(6) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। माना जाता है, वैवाहिक कलह के कारण पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं और अधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका पक्षकारों के बीच लंबित है। नाबालिग बच्चा दक्ष का जन्म 6.4.2016 यानी पार्टियों के विवाह के एक साल के भीतर हुआ था। विद्वत निचला न्यायालय अधिनियम की धारा 26 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि अपीलकर्ता के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:-

"यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आवेदक यह साबित करने में भी विफल रहा है कि वह अपने बच्चे को आवश्यक चिकित्सा उपचार कैसे प्रदान करेगी, विशेष रूप से जब अपने लिखित बयान के साथ, उसने एच. एम. अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह खुद को रखने और बनाए रखने में असमर्थ है, इसलिए उसने याचिकाकर्ता से मुकदमेबाजी के खर्च के साथ प्रति माह 10,000 रुपये के अंतरिम रखरखाव के लिए अनुरोध किया था, हालांकि उसे बाद में वापस ले लिया गया था। वास्तव में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक/ प्रतिवादी को रखरखाव भत्ता देने के लिए धारा 125 Cr.P.C के तहत एक आवेदन की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखी है, जो निर्णय के लिए लंबित है। उपरोक्त का सामना करते हुए, इस मामले के इस स्तर पर, इस अदालत की सुविचारित राय है कि नाबालिंग की अभिरक्षा को आवेदक/प्रतिवादी को सौंपने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, हालांकि, अधिक से अधिक, आवेदक/प्रतिवादी को मिलने का अधिकार दिया जाना चाहिए।"

(7) इस न्यायालय के समक्ष संबोधित दलीलों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से एक गृहिणी है और उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप वह अधिनियम की धारा 24 के साथ-

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

साथ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए विवश थी। हालाँकि, यह भी ध्यान देना उचित है कि अंतरिम रखरखाव @Rs.10,000/- प्रित माह के अनुदान के लिए आवेदन पत्नी द्वारा स्वीकारोक्तिपूर्वक वापस ले लिया गया था, जैसा कि निचली अदालत द्वारा विशेष रूप से देखा गया है। इस तरह का कार्य इस तथ्य का संकेत है कि भले ही अपीलकर्ता लाभकारी रूप से नियोजित नहीं है, लेकिन उसे अपने भरण-पोषण के लिए अपने परिवार या कुछ अन्य क्षेत्रों से कुछ समर्थन प्राप्त है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि एक बार जब पित और पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और एक पक्ष अदालत या पुलिस से संपर्क करता है तो दूसरा पक्ष भी जवाबी कार्रवाई के रूप में सभी संभावित मंचों पर आवेदन, याचिकाओं को दायर करने में शामिल होगा। हम पाते हैं कि निचली अदालत ने रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदन वापस लेने के उपरोक्त तथ्य को अनुचित महत्व दिया है, जो उनके द्वारा दायर किया गया था।

(8) यद्यपि प्रत्यर्थी-पित ने एक मामला स्थापित किया है कि अपीलकर्ता, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, बच्चे को उसके भाग्य पर छोड़कर अस्पताल से चली गई, लेकिन इस तरह की स्थित संभावित नहीं लगती है क्योंकि एक महिला जिसने नौ महीने तक अपने गर्भ में बच्चे का पालन-पोषण किया है, वह इतनी निर्दयी नहीं होगी कि बच्चे को स्तनपान भी न कराया जाए और बच्चे को उसके भाग्य पर छोड़ दे। किसी भी मामले में, हमारे समाज में, एक पुरुष बच्चे की इच्छा भी सर्वविदित है जो आगे यह अत्यधिक असंभव बनाती है कि एक पुरुष बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ उसे मरने के लिए छोड़ देगी। निचली अदालत ने एक अनुमानित निष्कर्ष दिया है कि पत्नी ने अपने बेटे को अनुपयुक्त और अनुपचारित छोड़ दिया है। पित द्वारा कोई समय, तिथि या दिन का उल्लेख नहीं किया गया है जब उसे अस्पताल में बच्चे को स्तनपान कराने के लिए बुलाया गया था। अस्पष्ट आरोप रिकॉर्ड पर किसी भी भौतिक साक्षय से प्रमाणित नहीं होते हैं।

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

- (9) यह कहने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए मां का प्यार और कोमल देखभाल अनिवार्य रूप से बचपन से ही होती है और मां के प्यार और देखभाल के बिना बचपन अधूरा रहता है। चूंकि प्रतिवादी हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है और इस तरह का काम समय और श्रम की दृष्टि से अत्यधिक मांग वाला है, इसलिए वह निश्चित रूप से नाबालिग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे पाएगा। इन परिस्थितियों में, बच्चे के पालन-पोषण के लिए माँ की देखभाल अपरिहार्य है। यह बच्चे का कल्याण है जो सर्वोपरि है और इस तरह के कल्याण की मांग है कि नाबालिग की देखभाल, उसकी शैशवावस्था में, माँ द्वारा की जाए और उसकी देखभाल की जाए।
- (10) भले ही अपीलकर्ता के पास आय के पर्याप्त साधन और स्रोत नहीं हैं, प्रत्यर्थी-पित का कर्तव्य है कि वह न केवल अपनी पत्नी बिल्क अपने बच्चे का भी भरण-पोषण करे और उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी कमाई से उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान करे।
- (11) हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि अपील स्वीकृति के योग्य है। तदनुसार, अपील को स्वीकार करते समय, विवादित आदेश को इसके द्वारा दरिकनार कर दिया जाता है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि नाबालिग बच्चे दक्ष की अभिरक्षा अपीलकर्ता को सौंप दी जाए। अपीलकर्ता को बच्चे को सौंपने की सुविधा के लिए, पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन दिनों की अविध के लिए यानी 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च, 2018 को मध्यस्थता और सुलह केंद्र, हिसार के समक्ष पेश हों, तािक बच्चे के लिए संआदेशण को सहज बनाया जा सके। सिचव, डी. एल. एस. ए., अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच ऐसी बैठकों की सुविधा प्रदान करेगा और वह सब कुछ करेगा जो इसके लिए आवश्यक है। हालाँकि, प्रत्यर्थी-पित को मिलने का अधिकार दिया जाता है और वह प्रत्येक शनिवार को शाम 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच अपीलकर्ता के घर मिलने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल)

(12) यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता को अपना भरण-पोषण करने के लिए कुछ समर्थन होने के संबंध में ऊपर की गई टिप्पणियों में से कोई भी टिप्पणी अपने या अपने नाबालिग बच्चे के लिए भरण-पोषण मांगने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(13) अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है।

पायल मेहता

अस्वीकरण-स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनुराधा मुंजाल